राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : प.1(1)वित्त/एसपीएफसी/2007 जयपुर, दिनांक : 04-05-2022

परिपत्र

वर्तमान में राजकीय वाहनों हेतु पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल आदि स्टेट मोटर गैराज विभाग द्वारा संचालित पेट्रोल पम्पों से सीधे क्रय किया जा रहा है तथा इस बाबत् अनुपलब्धता की स्थिति में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर खुले बाजार से क्रय किया जा रहा है। इस संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के बिंदु संख्या 16 के अनुसार पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट का उपापन बिना बोली प्रक्रिया अपनाये इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आईबीपी एवं भारत पेट्रोलियम से किये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

उक्त प्रक्रिया को और अधिक सुगम एवं सरलीकृत करने की दृष्टिगत समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि राजकीय वाहनों के लिये पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल आदि का क्रय स्टेट मोटर गैराज द्वारा संचालित पेट्रोल पम्पों के साथ–साथ इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आईबीपी एवं भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों से बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये भी किया जा सकता है। इस संबंध में स्टेट मोटर गैराज विभाग से किसी प्रकार की अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं होगी।

उपरोक्त प्रक्रिया के तहत पेट्रोल, डीजल के उपापन एवं किये जाने वाले भुगतान के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1. राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग से पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल आदि का क्रय करने की स्थिति में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध बजट प्रावधान एवं वित्तीय सक्षमता के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

2. इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के बिंदु संख्या 16 के अनुसार विभाग/कार्यालय द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं ल्यूब्रिकेंट का उपापन बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आईबीपी एवं भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पम्पों से किये जाने की स्थिति में तत्संबंधी भुगतान संबंधित विभाग के वाहन संधारण मद में उपलब्ध कराये गये बजट प्रावधान में से किया जा सकेगा, इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

   (i) वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ही प्रति वर्ष विभाग को विभाग में उपलब्ध राजकीय वाहनों के अनुरूप पेट्रोल/डीजल के लिए वाहन संधारण मद में वित्त विभाग द्वारा बजट उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) विभाग/कार्यालयों द्वारा आरटीपीपी नियमों में अंकित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, आईबीपी एवं भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल/डीजल पम्प संचालकों से वार्ता कर राजकीय वाहनों को डीजल/पेट्रोल आपूर्ति करने हेतु बिना निविदा अधिकृत किया जा सकता है।

(iii) विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग के अनुसार संबंधित पेट्रोल पम्प को वाहन के साथ Indent जारी किया जायेगा। उक्त Indent के आधार पर पेट्रोल पम्प द्वारा वाहन चालक को डीजल/पेट्रोल उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) संबंधित पेट्रोल पम्प द्वारा माह के दौरान आपूर्ति किये गये डीजल/पेट्रोल का समेकित बिल मय Indent विभाग को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। विभाग द्वारा प्राप्त बिल प्रमाणीकरण करके वाहन संधारण मद में उपलब्ध बजट में से नियमित प्रक्रियानुसार भुगतान किया जायेगा।

(v) पेट्रोल पम्प को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समय रहते/यथा समय वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट की मांग की जा सकती है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव,समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग,जयपुर।
9. कोषाधिकारी समस्त ।
10. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थः

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

संयुक्त शासन सचिव